विज्ञापन

रक्षा मंत्रालय,

Ministry of Defence,

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन,

Defence Research and Development Organisation,

संसदीय कार्य, राजभाषा तथा संगठन पद्धति निदेशालय

Directorate of Parliamentary Affairs, Rajbhasha and O&M

मूल रूप से हिंदी में लिखित/अनूदित पुस्तकों को पुरस्कृत करने के लिए "डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम मौलिक हिंदी पुस्तक पुरस्कार योजना: वर्ष 2020-2021"

"Dr. A.P.J Abdul Kalam Maulik Hindi Book Award Scheme: 2020-2021" for books originally written/translated in Hindi.

"रक्षा विज्ञान के बृहत् विषय" पर हिंदी में पुस्तक लेखन को बढ़ावा देने के लिए मूल रूप से हिंदी में लिखित/अनूदित पुस्तकें निम्नलिखित पुरस्कारों के लिए आमंत्रित हैं।

Books originally written/translated in Hindi in the field of **"Extensive Subjects of Defence Science"** are invited for the under-mentioned awards to promote writing books in Hindi.

रक्षा मंत्रालय,

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन,

संसदीय कार्य, राजभाषा तथा संगठन पद्धति निदेशालय

मूल रूप से हिंदी में लिखित/अनूदित पुस्तकों को पुरस्कृत करने के लिए राजभाषा पुस्तक पुरस्कार योजना वर्ष 2020-21

रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा संबद्ध विषयों पर हिंदी में पुस्तक लेखन को बढ़ावा देने के लिए मूल रूप से हिंदी में लिखित/अनूदित पुस्तकें निम्नलिखित पुरस्कारों के लिए आमंत्रित हैं।

रक्षा विज्ञान के बृहत् विषय

प्रथम पुरस्कार (एक)	50,000/- रु.
द्वितीय पुरस्कार (एक)	40,000/- रु.
तृतीय पुरस्कार (एक)	30,000/- रु.
प्रोत्साहन पुरस्कार (दो)	20,000/- रु.

इस योजना से संबंधित विवरण तथा निर्धारित आवेदन-पत्र रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की वेबसाइट https://drdo.gov.in/rajbhasha.puruskar पर उपलब्ध है।

योजना के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 है।

MINISTRY OF DEFENCE,
DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION,
DIRECTORATE OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, RAJBHASHA & O&M

Rajbhasha Book Award Scheme: 2020-21 for books originally written/translated in Hindi.

Books originally written/translated in Hindi in the field of Extensive subjects of Defence Science are invited for the under-mentioned awards to promote writing books in Hindi.

Extensive subjects of Defence Science

1st Prize (one)	**Rs. 50,000/-**
2nd Prize (one)	**Rs. 40,000/-**
3rd Prize (one)	**Rs. 30,000/-**
Incentive Prize (Two)	**Rs. 20,000/-**

Details of the scheme along with the prescribed application form are available on DRDO website https://drdo.gov.in/rajbhasha.puruskar.

Last date for submission of application form is 31st MARCH 2022.

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम मौलिक हिंदी पुस्तक पुरस्कार योजना का विवरण तथा आवेदन-पत्र

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में रक्षा विज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे इंजीनियरिंग तथा मैनेजमेंट सहित मूल और अनुप्रयुक्त विज्ञान में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए सन् 1995-96 से एक वार्षिक पुरस्कार योजना निरंतर चल रही है। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी यह पुरस्कार योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:

1. **<u>योजना का नाम</u>**

   'डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम मौलिक हिंदी पुस्तक पुरस्कार योजना'

2. **<u>उद्देश्य</u>**

   इस योजना का उद्देश्य रक्षा विज्ञान के बृहत् विषयों पर मूल रूप से हिंदी में स्तरीय पुस्तक-लेखन और अनूदित पुस्तकों को बढ़ावा देना है।

3. **<u>विषय</u>**

   पुस्तकें निम्न विषय पर लिखी होनी चाहिए: **'रक्षा विज्ञान के बृहत् विषय'**

4. **<u>पुरस्कार की राशि, आधार एक मूल्यांकन प्रक्रिया</u>**

   (क) इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पुरस्कार दिये जाएँगे-

(i)	प्रथम पुरस्कार (एक)	50,000/- रु. एवं प्रशस्ति पत्र
(ii)	द्वितीय पुरस्कार (एक)	40,000/- रु. एवं प्रशस्ति पत्र
(iii)	तृतीय पुरस्कार (एक)	30,000/- रु. एवं प्रशस्ति पत्र
(iv)	प्रोत्साहन पुरस्कार (दो)	20,000/- रु. एवं प्रशस्ति पत्र
	(कुल पाँच पुरस्कार)	

   (ख) उपर्युक्त पुरस्कार, इस प्रयोजनार्थ गठित मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर दिये जाएँगे।

   (ग) मूल्यांकन प्रक्रिया तभी प्रारंभ की जाएगी जब निर्धारित अंतिम दिनांक तक कम-से-कम तीन पात्र प्रविष्टियाँ प्राप्त हो जाएँगी।

5. मूल्यांकन

1. पुरस्कार प्रदान किये जाने एवं पुस्तकों का चयन करने के लिए एक विभागीय छँटनी समिति होगी। यह समिति पुस्तकों की पात्रता का निर्धारण करेगी।
2. एक विभागीय मूल्यांकन समिति गठित की जाएगी। इस समिति में अध्यक्ष को मिलाकर पाँच सदस्य होंगे। यदि आवश्यक समझा गया तो अतिरिक्त गैर-सरकारी या अन्य विभाग से सदस्यों को शामिल किया जा सकेगा। निदेशक, संसदीय कार्य, राजभाषा तथा संगठन पद्धति निदेशालय इसके सदस्य सचिव होंगे। समिति पुस्तकों के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञों की सहायता लेगी।
3. मूल्यांकन समिति के सदस्य पुरस्कार के लिए अपनी पुस्तक प्रस्तुत नहीं कर सकते।
4. मूल्यांकन समिति का कार्यकाल इसके गठन की दिनांक से पाँच वर्ष तक होगा। सचिव, रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग एवं अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा इस समिति का गठन किया जाएगा।
5. पुस्तकों के मूल्यांकन कार्य के लिए मूल्यांकनकर्ताओं को यथा-निर्धारित मानदेय प्रदान किया जाएगा।
6. प्रविष्टि के रूप में प्राप्त पुस्तक के बारे में उसकी पात्रता का निर्णय निर्धारित मापदंडों के अनुसार गठित छँटनी समिति द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। तत्पश्चात, प्रत्येक पात्र पुस्तक को मूल्यांकन हेतु दो भिन्न-भिन्न मूल्यांकनकर्ताओं को भेजा जाएगा जिनका चयन मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। मूल्यांकनकर्ता अपना मूल्यांकन राजभाषा निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में भरकर निदेशालय को निश्चित दिनांक तक उपलब्ध करवा देंगे जिसके पश्चात उन्हें मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उन पर विचार के बाद पुरस्कारों के संबंध में निर्णय लेगी।
7. यदि किसी प्रतियोगिता-अवधि के दौरान प्राप्त सभी पुस्तकों में से किसी भी प्रविष्टि को मूल्यांकन समिति द्वारा पुरस्कार-योग्य नहीं पाया जाता है तो उस प्रतियोगिता-अवधि के लिए कोई पुरस्कार नहीं दिया जाएगा और अगली प्रतियोगिता-अवधि के लिए निर्धारित कार्य-विधि के अनुसार यथा-समय नये सिरे से कार्रवाई करते हुए प्रविष्टियाँ मँगवायी जाएँगी।
8. पुरस्कारों के बारे में निर्णय की सूचना सभी पुरस्कार विजेताओं को ईमेल तथा पत्र द्वारा भेजी जाएगी।
9. पुरस्कार **14 सितंबर** को हिंदी दिवस के अवसर पर प्रदान किये जाएँगे।

6. पात्रता

1. सभी भारतीय नागरिक भाग ले सकते हैं।
2. केवल प्रकाशित पुस्तकों पर विचार किया जाएगा। पांडुलिपि स्वीकार नहीं की जाएगी। पुस्तक में संदर्भ तथा ग्रंथसूची का होना अनिवार्य है।
3. मौलिक पुस्तकें/अनूदित पुस्तकें केवल पिछले दो वर्षों (1 जनवरी, 2020 से 31 दिसंबर, 2021 तक) के दौरान प्रकाशित होनी चाहिएं।

4. पुस्तक पर आईएसबीएन (ISBN) नंबर अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
5. पुस्तक में दी गयी जानकारी जैसे विषय की तारतम्यता, संदर्भ विवरण, विषय वस्तु की मौलिकता/प्रस्तुतीकरण आदि सहज एवं सरल भाषा में होनी चाहिए।
6. शासकीय हैसियत से और सरकारी कामकाज के भाग के रूप में किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा लिखित पुस्तक प्रतियोगिता के लिए पात्र नहीं होगी।
7. सरकारी संविदा के अंतर्गत या किसी सरकारी योजना के अनुसार लिखी गयी पुस्तक स्वीकार नहीं की जाएगी।
8. उपन्यास, कहानी, नाटक, कविता, संस्मरण, आदि के रूप में लिखी गयी पुस्तकें अथवा स्कूल/कॉलेज के छात्रों के लिए पाठ्य-पुस्तकों के रूप में अथवा पाठ्यक्रम के आधार पर लिखी गयी पुस्तकें प्रतियोगिता के लिए पात्र नहीं होंगी।
9. आवेदन-पत्र के साथ पुस्तक की 05 प्रतियाँ भेजी जाएँ।
10. लेखक को अपने आवेदन-पत्र के साथ एक प्रमाण-पत्र देना होगा कि पुस्तक उसने स्वयं मूल रूप से हिंदी में लिखी है और उसकी पुस्तक किसी अन्य लेखक के प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) का उल्लंघन नहीं करती।
11. प्रतियोगिताओं में शामिल पुस्तकों पर लेखकों का कॉपीराइट बना रहेगा।
12. पुस्तक के एक से अधिक लेखक हैं तो पुरस्कार की राशि को उनमें बराबर बाँट दिया जाएगा।
13. पुरस्कार **14 सितंबर** को हिंदी दिवस के अवसर पर प्रदान किये जाएँगे।
14. विस्तृत जानकारी के लिए डीआरडीओ की वेबसाइट **https://drdo.gov.in/rajbhasha.puruskar** देखें।
15. यदि कोई लेखक किसी एक योजना-अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया है तो वह/वे अगली एक योजना-अवधि में भाग लेने का/के पात्र नहीं होगा/होंगे।
16. जिन पुस्तकों को इन प्रतियोगिताओं के लिए पहले प्रस्तुत किया जा चुका है और कोई पुरस्कार नहीं मिला है, उन पुस्तकों को प्रतियोगिताओं के लिए दोबारा भी प्रस्तुत किया जा सकेगा।

7. सामान्य शर्तें

(क) यदि पुरस्कार प्राप्त करनेवाली किसी पुस्तक के एक से अधिक लेखक हैं तो पुरस्कार की राशि को उनमें बराबर बाँट दिया जाएगा।

(ख) यदि किसी वर्ष मूल्यांकन समिति किसी भी पुस्तक को पुरस्कार दिये जाने के उपयुक्त नहीं समझती है तो मूल्यांकन समिति अपने विवेक पर इस पुरस्कार को रोक सकती है।

(ग) पुरस्कार प्रदान किये जाने या पुरस्कार के लिए पुस्तकों के चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा। लेखक को पुस्तक भेजने से पहले कोई सूचना या स्पष्टीकरण चाहिए तो वह निदेशक, संसदीय कार्य, राजभाषा तथा संगठन पद्धति निदेशालय को लिख सकता है।

(घ) यह पुरस्कार प्रत्येक वित्त वर्ष में दिया जाएगा और यदि किसी वित्त वर्ष के लिए उपयुक्त पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो तो उस वर्ष पुरस्कार नहीं दिये जाएँगे।

8. <u>प्रविष्टियाँ आमंत्रित करना</u>

हिंदी और अंग्रेज़ी के कुछ समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर लेखकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएँगे। डीआरडीओ की साइट https://drdo.gov.in/rajbhasha.puruskar पर आवदेन पत्र उपलब्ध है। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन मुख्यालय के निदेशालयों तथा इसकी प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं में प्रचार किया जाएगा। सभी शैक्षणिक संस्थानों में भी प्रचार किया जाएगा।

9. <u>प्रविष्टियाँ भेजने की विधि</u>

(क) लेखकों को अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत करना होगा। इस प्रपत्र के साथ उन्हें अपनी प्रकाशित पुस्तक की 05 प्रतियाँ निर्धारित दिनांक तक प्रेषित करनी होंगी।

(ख) प्रविष्टि के तौर पर भेजी जानेवाली पुस्तकों की संख्या 05 से कम होने तथा आवेदन निर्धारित प्रपत्र में न होने की स्थिति में आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।

(ग) एक लेखक एक से अधिक प्रविष्टियाँ विचारार्थ भेज सकता है (बशर्ते उनकी विषय-वस्तु परस्पर भिन्न हों)। परंतु एक लेखक को केवल एक ही पुरस्कार प्रदान किया जाएगा जिसका निर्णय मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा ।

(च) प्रविष्टियों के तौर पर प्राप्त पुस्तकें लेखकों को वापस नहीं भेजी जाएँगी ।

(छ) परिपत्र/विज्ञापन में उल्लिखित अंतिम दिनांक तक प्रविष्टियाँ, संसदीय कार्य, राजभाषा तथा संगठन पद्धति निदेशालय में पहुँचाने का उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से आवेदक का होगा। निर्धारित दिनांक के पश्चात् प्राप्त होनेवाली प्रविष्टियों को अस्वीकार किया जा सकता है। किसी भी प्रविष्टि के डाक में खोने अथवा देर से प्राप्त होने के लिए यह निदेशालय उत्तरदायी नहीं होगा।

(ज) प्रविष्टियाँ, परिपत्र/विज्ञापन में उल्लिखित अंतिम दिनांक तक निम्नलिखित पते पर पहुँच जानी चाहिए:-

निदेशक,
संसदीय कार्य, राजभाषा तथा संगठन पद्धति निदेशालय
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
प्रथम तल, डीआरडीओ भवन,
राजाजी मार्ग, नई दिल्ली - 110011

10. **कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण बातें**

मौलिक पुस्तक का आशय निम्नलिखित प्रकार की पुस्तक से है:-

(क) जो प्रतियोगी/लेखक द्वारा स्वयं मूल रूप से हिंदी में लिखी गयी हो।

(ख) जो किसी लेखक द्वारा किसी अन्य भाषा में लिखी गयी पुस्तक अथवा लेख का प्रतियोगी द्वारा किया हुआ हिंदी अनुवाद न हो।

(ग) जो प्रतियोगी द्वारा स्वयं किसी अन्य भाषा में लिखी गयी पुस्तक का स्वयं उस प्रतियोगी द्वारा अथवा किसी व्यावसायिक अनुवादक द्वारा तैयार किया गया अनुवाद न हो।

(घ) जो प्रतियोगी द्वारा स्वयं अथवा किसी व्यावसायिक अनुवादक द्वारा किया गया किसी ऐसी पुस्तक अथवा लेख का हिंदी अनुवाद न हो जिसे लेखक ने अंग्रेज़ी अथवा किसी अन्य भाषा में अपनी शासकीय हैसियत से तथा अपने सरकारी कामकाज के एक भाग के रूप में लिखा हो।

(च) अनूदित पुस्तक भी पुरस्कार योजना में शामिल की जाएगी बशर्ते कि अनुवादकर्ता ने प्रकाशक तथा मूल लेखक से लिखित अनुमति प्राप्त कर ली हो।

11. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को इस योजना में संशोधन करने का अधिकार होगा ।

निदेशक,
संसदीय कार्य, राजभाषा तथा संगठन पद्धति निदेशालय
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
प्रथम तल, डीआरडीओ भवन,
राजाजी मार्ग, नई दिल्ली - 110011

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की **'डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम मौलिक हिंदी पुस्तक पुरस्कार योजना'** के लिए आवेदन-पत्र

निदेशक
संसदीय कार्य, राजभाषा तथा संगठन पद्धति निदेशालय
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
प्रथम तल, डीआरडीओ भवन,
राजाजी मार्ग, नई दिल्ली- 110011

फोटो

प्रपत्र

1. पुस्तक का नाम .....
2. पुस्तक रक्षा संबंधी विषयों में से किस विषय पर लिखी गयी है
   .....
3. (क) लेखक/लेखकों का/के नाम .....
   (ख) लेखक/लेखकों की मातृभाषा .....
   (ग) पूरा पता .....
   .....
   .....
   (घ) दूरभाष/मोबाइल नंबर .....
4. **पुस्तक के प्रकाशक आदि के बारे में सूचना**
   (क) प्रकाशक का नाम .....
   (ख) प्रकाशक का पूरा पता .....
   .....
   (ग) क्या यह प्रकाशक प्रतिष्ठित/पंजीकृत है? .....
   (घ) पुस्तक का मूल्य.....
   (च) आईएसबीएन नं. .....
   (छ) प्रकाशन-वर्ष .....
   (ज) पुस्तक की प्रकाशित प्रतियों की संख्या .....
   (झ) कॉपीराइट किसके अधीन है .....
5. पुस्तक के मुद्रित/मानक पृष्ठों की कुल संख्या .....
   (संपादकीय, प्रस्तावना, प्रतिक्रियाओं, अन्य लेखकों/पाठकों की टिप्पणियों को छोड़कर)
6. अगला नामिती .....
7. क्या पुस्तक को पूर्व में किसी अन्य प्रतियोगिता में भेजा गया था, यदि हाँ, तो कृपया पूरा ब्यौरा दें-
   (क) किस वर्ष में भेजी गयी.....
   (ख) किसे भेजी गयी (पूरा पता दें) .....
   (ग) क्या कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ? (यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा) .....
   .....

8. क्या लेखक को रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत पहले भी कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ है,
यदि हाँ, तो निम्नलिखित ब्यौरा दें-

(क) पुरस्कार प्राप्त पुस्तक का शीर्षक .....

(ख) वर्ष (जिसमें पुरस्कार प्राप्त हुआ) .....

(ग) प्राप्त पुरस्कार की राशि .....

(घ) वर्ष (जिसमें पुस्तक प्रकाशित हुई) .....

(च) प्रकाशक का नाम/पूरा पता .....

.....

(छ) पुस्तक की कीमत .....

9. मैं/हम यह प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि:-

(क) मैं/हम भारतीय नागरिक हूँ/हैं।

(ख) पुस्तक मेरे/हमारे द्वारा मूल रूप से हिंदी में लिखी/अनूदित की गयी है।

(ग) यह पुस्तक/पुस्तकें स्कूल/कॉलेज के छात्रों के लिए पाठ्य-पुस्तक/पुस्तकों के रूप में अथवा पाठ्यक्रम के आधार पर नहीं लिखी गयी है/हैं।

(घ) मेरी/हमारी पुस्तक की इस योजना के अंतर्गत प्रविष्टि करने से किसी अन्य व्यक्ति/लेखक/संस्था के कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होता है।

(च) पुस्तक मैंने/हमने शासकीय हैसियत से या सरकारी कामकाज के भाग के रूप में अथवा सरकारी संविदा के अतंर्गत या किसी सरकारी योजना के अनुसार नहीं लिखी है।

(छ) मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि प्रपत्र में दिये गये विवरण बिल्कुल सही हैं।

दिनांक ..... हस्ताक्षर .....

स्थान ..... पूरा नाम .....

पूरा पता .....

टिप्पणी

1. यदि किसी पुस्तक के लेखक एक से अधिक व्यक्ति हों तो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी इस प्रपत्र को अलग-अलग भरकर प्रस्तुत करेंगे।

2. हिंदीतर भाषियों को हिंदी में लेखन हेतु प्रोत्साहन देने के कुछ बोनस अंक दिये जाएँगे।

3. आवश्यकतानुसार इस आवेदन-पत्र को टाइप करवाकर भेजें।

4. **अंतिम तिथि:** विधिवत रूप से भरा हुआ आवेदन-पत्र पुस्तक सहित इस विज्ञापन के प्रकाशित होने की दिनांक से 8 सप्ताह के अंदर इस निदेशालय को भेजा जाए ।